पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1521 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 (SH) दिनांकः 23 .08.2021

कार्यालय ज्ञाप

"महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013" की धारा–4(1) के अन्तर्गत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT 1997(7) SC 384) में दिये गये निर्णय एवं मार्गदर्शन के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 585/HR&Admn./PTCUL/P-8 Date: 12.06.2009 एवं यथा संशोधित 652 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 दिनांक 03.04.20218 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु एतदद्वारा "आन्तरिक शिकायत समिति" का पुर्नःगठन निम्नवत किया जाता हैः–

1. श्रीमती शालू जैन, उपमुख्य लेखाधिकारी – अध्यक्ष
2. श्रीमती मीनाक्षी भारती, अधिशासी अभियन्ता – सदस्य
3. श्री विवेकानन्द, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी – सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ अरोड़ा, सहायक अभियन्ता (जानपद) – सदस्य
5. सुश्री प्रियंका रोहिला, अवर अभियन्ता – सदस्य

अधिनियम की धारा–4(3) के अन्तर्गत उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गमन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक होगा।

उपरोक्त "आन्तरिक शिकायत समिति" पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को "महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013" के प्राविधानों के तहत स्वीकार कर उनका क्रियान्वयन एवं निस्तारण करेगी। समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्राप्त शिकायत पर जाँच पूर्ण करने के उपरान्त अपनी आख्या तैयार कर मानव संसाधन विभाग, पिटकुल को उपलब्ध करायेगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित पक्ष को भी उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही समिति अपने कार्य की वार्षिक आख्या तैयार कर समुचित स्तर पर प्रेषित करेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1521 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4(SH) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक / डा0ए0ऑ–निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (मा0सं0) / (वित्त), पिटकुल देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल (ई–मेल के माध्यम से)।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०) को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की प्रति को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समिति के सदस्यों को नाम से......................।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल (ई–मेल के माध्यम से)।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)